



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 571]
No. 571]नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 2007/वैशाख 25, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 2007/VAISAKHA 25, 1929लघु उद्योग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2007

का.आ. 765(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, लघु उद्योग विभागों या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकारों के छः मंत्रियों के चयन के लिए, विद्यमान 28 राज्यों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए देश के छः क्षेत्रों में विभाजित करती है, जिससे वे राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के पदेन सदस्यों के रूप में उसमें से प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य
(1)	(2)	(3)
1.	I	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान
2.	II	छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
3.	III	बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल
4.	IV	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र
5.	V	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू
6.	VI	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा

[फा. सं. 1(3)/2006-एमएसएमई पालिसी]

जवाहर सरकार, अपर सचिव

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2007

S.O. 765(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (3) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby divides the present 28 states of the country into six regions for the selection of six Ministers of the State Governments having administrative control of the departments of small scale industries or, as the case may be, micro, small and medium enterprises, to represent each of those regions as *ex-officio* members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises, for the purposes of the said Act, namely :-

TABLE

Sl. No.	Region	States
(1)	(2)	(3)
1.	I	Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan
2.	II	Chhatisgarh, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh
3.	III	Bihar, Jharkhand, Orissa, Sikkim, West Bengal
4.	IV	Goa, Gujarat, Maharashtra
5.	V	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu
6.	VI	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura

[F. No. 1(3)/2006-MSME Pol.]

JAWHAR SIRCAR, Addl. Secy.